01/6/18 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। [illegible] उपरान्त वाद प्रार्थी [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से दर्ज हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2018/00290

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– भरत जय प्रकाश मीणा (आई. ए. एस.)

प्रकरण सं.– 146/2018 दायरा दिनाकः– 03.08.2018

GCMS :- 2018/002990

कश्मीर सिह पुत्र श्री बचनसिह जाति रायसिख साकिन निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. हीरा सिह
2. नन्द सिह
3. भगवान सिह

} पिसरान बचनसिह जाति रायसिख साकिनान निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
5. उप – पजीयक सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88– 188– 53– 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – वादी
2 श्री दलवीर सिह सोवणां अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 01.06.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता बचन सिह पुत्र कर्मसिह जाति रायसिख निवासी निरवाणा तहसील सूरतगढ़ के नाम से चक 7 एनआरडी के पत्थर न. 94/319 के किला न. 1 ता 25 में 6.075 हैक. कमाण्ड/अनकमाण्ड मयखाला खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के पिता ने अपने नाम के उक्त खातेदारी रकबा में से किला न. 16 के पश्चिमी पासा की 0.10 बीघा भूमि की वसयीयत वादी के पक्ष में दिनाक 16.11.2011 को रोबरू गवाहान निष्पादित कर यह वसीयत नोटेरी पब्लिक तस्दीक करवाई थी वादी के पिता का स्वर्गवास दिनाक 30.11.2012 को गॉव निरवाणा में हो गया था व वादी के पिता के फौत हो जाने के बाद विरास्तन इन्तकाल न. 246 दिनाक 20.09.2013 से वादी व वादी के भाई – बहिनो सभी वारिसो के नाम तमाम रकबा का विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो गया था। चुकिः वादी के पिता अपने जीवनकाल में ही किला न. 16 के 0.126 हैक. रकबा की वसीयत वादी के पिता ने वादी के पक्ष में निष्पादित कर दी थी इसलिये वसीयत में दर्ज रकबा तक का इन्तकाल प्रभावहीन है व वादी के हको पर निष्प्रभावी है त्तपश्चात् वादी की बहिनो ने वादी व प्रवितादी न. 1 ता 3 के पक्ष में दस्तबदारी कर थी जिसका इन्तकाल न. 253 स्वीकृति दिनाक 20.04.2014 से उक्त रकबा वादी एंव

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी न. 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गया था व उसके पश्चात् वादी एंव प्रतिवादी न. 1 ता 3 ने पत्थर न. 94/319 के किला न. 1/2 का 0.228 हैक. व किला न. 2 व 3 का 0.506 हैक. रकबा अपनी सगी बहिन कश्मीरो बाई को दान पत्र में दिया जिसका इन्तकाल न. 259 स्वीकृति दिनाक 07.10.2014 से यह रकबा कश्मीरो बाई के नाम दर्ज हुआ। त्तपश्चात् इस पत्थर न. 94/319 के किला न. 4 ता 25 का 5.341 हैक. रकबा वादी एंव प्रतिवादी न. 1 ता 3 के नाम ब.हि.बराबर दर्ज हुआ जिसकी जमाबन्दी संलग्न वाद है वादी अपने पिता के जीवनकाल में पिता की सेवा चाकरी वादी ही करता था वादी के पिता का रिहायशी मकान इस चक 7 एनआरडी के पत्थर न. 94/319 के किला न. 16 के 0.126 हैक. (पश्चिमी पासा) के कमाण्ड रकबा में बना हुआ है तथा इसी रकबा की वसीयत वादी के पिता ने निष्पादित की थी यह वसीयत वादी के बड़े भाई प्रतिवादी न. 1 ने अपने पास में रख ली थी इसलिये इस वसीयत की वादी को जानकारी नही थी अब दिनाक 05.06.2018 को वादी के बड़े भाई प्रतिवादी न. 1 हीरासिह ने यह वसीयत वादी को देकर वादी को बताया कि किला न. 16 के 0.126 हैक. रकबा वादी के पक्ष में है इस पर वादी का वसीयत की जानकारी होते ही वादी ने पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करके प्रतिवादी को इस वसीयत के मुताबिक तहसील में चलकर ब्यान देने को कहा तो वो टालमटोल करते रहे अब दिनाक 02.07.2018 को वादी ने वसीयत के मुताबिक इन्तकाल करने का कहा तो वह इन्कार हो गया इसलिये पत्थर न. 94/319 के किला न. 16 का 0.126 हैक. रकबा का वादी वसीयत नामा दिनाक 16.11.2011 के अनुसार खातेदार कृषक घोषित करते हुये इस पत्थर न. 94/319 के शेष 5.215 हैक. रकबा में वादी एंव प्रतिवादीगण 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार होने से इस रकबा का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मगंवाकर खाता विभाजन किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी न. 1 ने वादी के तथ्यो को स्वीकार करके दावा डिक्री करने का निवेदन किया व प्रतिवादी न. 3 ने दावा के तथ्यो को इन्कार करते हुये वसीयत को सदेह पैदा करना दर्शाते हुये तमाम रकबा का खाता विभाजन का जरिये वकील पेश करके वाद वादी निरस्त करने का निवेदन किया दावा का जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई तनकीयात कायत की जाकर वादी ने अपने पक्ष में अपने खुद के ब्यान पीडब्लयू – 1 व वसीयत के गवाह बलवीर सिह के ब्यान पीडब्लयू – 2 पेश किये त्तपश्चात् दिनाक 02.09.2021 को वादी एंव प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा को स्वीकार करने पर तस्दीक किया गया। राजीनामा के तस्दीक होने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनी गई। राजीनामा के आधार पर निम्न तनकीवार निर्णय किया जाता है।

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1. आया चक 7 एनआरडी के पत्थर न. 94/319 के किला न. 1 ता 25 में 6.075 हैक. रकबा मृतक बचनसिह का स्वअर्जित खातेदारी था मृतक बचनसिह को अपने नाम के उक्त रकबा में से किला न. 16 में से 0.126 हैक. रकबा की वसीयत करने का हकदार था ?

वादी

2. आया मृतक बचनसिह ने अपने नाम के खातेदारी रकबा में चक 7 एनआरडी के पत्थर न. 94/319 के किला न. 16 में से 0.126 हैक. रकबा की वसीयत दिनाक 16.11.2011 को स्वेच्छा से रोबरू गवाहान करवाई थी ?

वादी

3. आया वादी अपने पिता द्वारा निष्पादित वसीयत दिनाक 16.11.2011 के आधार पर चक 7 एनआरडी के पत्थर न. 94/319 के किला न. 16 के 0.126 हैक. रकबा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार है तथा उक्त रकबा पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन योग्य है ?

वादी

4. आया जैरप्रकरण रकबा का विरास्तन इन्तकाल न. 246 दिनाक 20.09.2013 वादी के हितो पर बेअसर है तथा इस पत्थर के शेष 5.215 हैक. में से वादी एंव प्रतिवादीगण 1/4, 1/4 हिस्साके खातेदार काश्तकार है ?

वादी

5. आया वादी चक 7 एनआरडी के पत्थर न. 94/319 के शेष 5.215 हैक. में से 1/4 हिस्सा रकबा का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब व रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर खाता विभाजन का हकदार है ?

वादी

6. आया मृतक बचनसिह के अपने जीवनकाल में कोई भी वसीयत नही की थी तथा वादी ने वसीयत के मुताबिक कोई कार्यवाही नही की है इसलिये वाद वादीगण खारिज योग्य है ?

प्रतिवादीगण

7. अन्य अनुतोष .....

तनकी न. 1 ता 3 एक समान व समान की बिन्दु पर होने से इनका निर्णय एक साथ किया जाता है इन तीनो तनकीयो को साबित करने का भार वादी पर है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार वादी व प्रतिवादी के पिता बचनसिह पुत्र कर्मसिह को चक 7 एनडब्लयू डी वर्तमान चक 7 एनआरडी के पत्थर न. 94/319 के किला न. 1 ता 25 में 24.00 बीघा रकबा दिनाक 30.11.1972 से पुख्ता आवटन है इस रकबा के खातेदारी अधिकार आवटी के नाम से सैल रजिस्टर के अनुसार दिनाक 25.03.1995 को जारी हो गये जमाबन्दी सम्वत् 2047 – 50 के अनुसर वसीयत कर्ता खातेदार हो गया था तथा मृतक ने अपने जीवनकाल में दिनाक 16.11.2011 को स्वेच्छा से यह वसीयत रोबरू गवाहान निष्पादित कर दी थी जिसको उभयपक्ष स्वीकार कर रहा है प्रतिवादीगण राजीनामा तस्दीक दिनाक 02.09.2021 में वाद वादी स्वीकार करने का

लगातार पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

निवेदन किया है इसलिये तीनो तनकीयो का निर्णय बहक वादी किया जाकर वादी को चक 7 एनआरडी के पत्थर न. 94/319 के किला न. 16 के 0.126 हैक. पश्चिमी पासा के रकबा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा यह रकबा वादी सहीत इस खाते के सभी सह खातेदारो से कलमजन किया जाने का निर्णय दिया जाता है। तनकी न. 4 व 5 के तथ्य भी समान होने से इनका निर्णय भी एक साथ किया जाता है इन दोनो तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर है। चुकिः तनकी न. 1 ता 3 में वादी के पक्ष में निष्पादित हो चुकी है इसलिये वसीयत दिनाक 16.11.2011 में वर्णित किला न. 16 के 0.126 हैक. रकबा जिसका वादी खातेदार घोषित हो चुकाहै इसलिये इतने रकबा तक का इन्तकाल न. 246 दिनाक 20.09.2013 वादी के हको पर बेअसर घोषित किया जाकर इस पत्थर न. 94/319 के शेष 5.215 हैक. रकबा जो वादी सहीत सभी सहखातेदारो के नाम खातेदारी बचता है जो रकबा का खाता विभाजन के लिये अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मगंवाना उचित समझते है इन तनकीयात का निर्णय बहक वादी किया जाता है।

तनकी न. 6 यह तनकी प्रतिवादी को साबित करनी थी परन्तु प्रतिवादीगण ने दिनाक 02.09.2021 को तस्दीक राजीनामा में इस वसीयत नामा को स्वीकार कर किया है इसलिये इस तनकी का निर्णय खिलाफ प्रतिवादी किया जाता है।

अतः वाद वादी उपरोक्त तनकीयात के निर्णय के अनुसार तनकी न. 1 ता 5 को वादी ने साबित कर दिया है तथा वादी एंव प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा दावा वादी डिक्री किया जाने में सहमति दे दी है चुकिः जैरप्रकरण रकबा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने के पश्चात् प्रतिवादीगण ने बैक के रहन रखा हुआ है इसलिये अन्य अनुतोष के निर्णय में वसीयतनामा के आधार पर किला न. 16 के 0.126 हैक. रकबा तक का बैक ऋण बागुजार (बेअसर) घोषित किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को चक 7 एनआरडी के पत्थर न. 94/319 (12) के किला न. 16 के 0.126 हैक. कमाण्ड (पश्चिमी पासा) रकबा का वादी को वसीयतनामा दिनाक 16.11.2011 के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है यह रकबा चक 7 एन आर डी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता सख्या 63/27 के वादी सहीत सभी सयुक्त खातेदारो से अनुपातिक रूप से कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस रकबा पर बैक ऋण प्रभाव शुन्य रहेगा तथा इस पत्थर न. 94/319 के शेष रकबा 5.215 हैक. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला रकबा का वादी के रकबा का अन्य सह खातेदारो के रकबा से खाता विभाजन के लिये अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर खाता विभाजन हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो तथा विभाजन प्रस्ताव आने पर पुनः दर्ज रजिस्टर हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :– भरत जय प्रकाश मीणा आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

कश्मीर सिह पुत्र श्री बचनसिह जाति रायसिख साकिन निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. हीरा सिह
2. नन्द सिह
3. भगवान सिह

} पिसरान बचनसिह जाति रायसिख साकिनान निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
5. उप – पजीयक सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 88– 188– 53– 209 आर टी एक्ट मुकदमा न. 146 वर्ष 2018 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ तथा वकील प्रतिवादीगण अभिभाषक के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को चक 7 एनआरडी के पत्थर न. 94/319 (12) के किला न. 16 के 0.126 हैक. कमाण्ड (पश्चिमी पासा) रकबा का वादी को वसीयतनामा दिनाक 16.11.2011 के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है यह रकबा चक 7 एन आर डी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता सख्या 63/27 के वादी सहीत सभी सयुक्त खातेदारो से अनुपातिक रूप से कलमंजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस रकबा पर बैक ऋण प्रभाव शुन्य रहेगा तथा इस पत्थर न. 94/319 के शेष रकबा 5.215 हैक. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला रकबा का वादी के रकबा का अन्य सह खातेदारो के रकबा से खाता विभाजन के लिये अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर खाता विभाजन हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाने का आदेश दिया जाता है।

नोज X मुबलिग X बाबत X खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह X फस्दों की पालना X आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 01.06.26 को जारी की गई।

(भरत जय प्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)